


सं 10  
२२

वादी अधिवक्ता उपस्थित, गिण्टि अलग से लिखवाया  
जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र स्वीकार  
किया जाता है। पंच डिफ्री इस आशय का जारी  
है। पंच डिफ्री की एक प्रति तहसीलदार श्री  
करणपुर को पालनाथ प्रेषित है। पत्रावली  
गिण्टि होकर नम्बर से कम होकर दाखिल  
दफ्तर है।



  
उपखण्ड अधिवक्ता (राजस्व)  
श्री करणपुर

